संख्याः 32 /XXIV-3/21/02(02)2021

प्रेषक,

आर.मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3394
15/2/21

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून, दिनांकः 12 जनवरी, 2021

विषयः– राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (हाईस्कूल/इण्टर) के भवनों/कक्षा–कक्षों के निमार्ण हेतु मानक निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5ख(2)/23011/भवन मानक/2020–21, दिनांकः 06 जनवरी, 2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (हाईस्कूल/इण्टर) के भवनों/कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किये जाते हैं–

क्र.सं.	स्तर	कक्षों का विवरण		
1	राजकीय हाईस्कूल (कक्षा–6 से 10 तक एक–एक अनुभाग संचालित होने पर)	कक्षा–कक्ष–	06	(6X8वर्गमी.)
		प्रयोगशाला कक्ष	01	(7X7वर्गमी.)
		कम्प्यूटर कक्ष	01	(6X8वर्गमी.)
		प्रधानाध्यापक कक्ष	01	(4X3वर्गमी.)
		कार्यालय कक्ष	01	(4X3वर्गमी.)
		पुस्तकालय कक्ष	01	(6X8वर्गमी.)
		आर्ट व काफ्ट कक्ष	01	(6X8वर्गमी.)
		स्टाफ रूम	01	(6X8वर्गमी.)
		शौचालय–	बालक/बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय	

2	राजकीय इण्टर कॉलेज (कक्षा–6 से 10 तक एक–एक अनुभाग व कक्षा–11 व 12 में विज्ञान व कला वर्ग संचालित होने पर)	कक्षा–कक्ष	10	(6X8वर्गमी.)
		प्रयोगशाला कक्ष	04	(7X7वर्गमी.)
		(भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान इण्टर स्तर पर व समेकित प्रयोगशाला हाईस्कूल स्तर पर)		
		कम्प्यूटर कक्ष	01	(6X8वर्गमी.)
		प्रधानाध्यापक कक्ष	01	(4X3वर्गमी.)
		कार्यालय कक्ष	01	(4X3वर्गमी.)
		पुस्तकालय कक्ष	01	(6X8वर्गमी.)
		आर्ट व क्राफ्ट कक्ष	01	(6X8वर्गमी.)
		स्टाफ रूम	01	(6X8वर्गमी.)
		शौचालय–	बालक/बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय	

भवदीय,

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।